RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 337
दि. 10.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आस्था बनाम समानता: सबरीमाला सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने खड़ा किया नया संवैधानिक मंथन

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में चल रही सुनवाई ने एक बार फिर यह प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है कि आस्था की सीमाएं क्या हैं और समानता का अधिकार कहां तक प्रभावी होता है। केरल के प्रसिद्ध Sabarimala Temple से जुड़े विवाद ने अब एक व्यापक संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है, जिसमें केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे देश के धार्मिक ढांचे, परंपराओं और अधिकारों की परिभाषा पर विचार हो रहा है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई कर रही है, और अदालत की हालिया टिप्पणियों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाला निर्णय केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत तय करेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जिस तरह 'विशिष्टता' के नाम पर भेदभाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, उसने पूरे विवाद को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पैदा कर दी है। अदालत का यह कहना कि किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश से रोकना हिंदू धर्म को बांटने जैसा हो सकता है, केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक गहरी संवैधानिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह विचार इस बात को रेखांकित करता है कि धर्म की मूल भावना समावेशिता और समानता में निहित है, और यदि परंपराओं के नाम पर किसी वर्ग को बाहर रखा जाता है, तो वह धर्म की आत्मा के विपरीत हो सकता है।

यह पूरा विवाद वर्ष 2018 के उस ऐतिहासिक निर्णय से जुड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में

महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। उस फैसले ने देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की थीं। एक ओर जहां इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर कई धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने इसे परंपराओं में हस्तक्षेप करार दिया। अब उसी फैसले की समीक्षा और उससे जुड़े व्यापक प्रश्नों पर संविधान पीठ विचार कर रही है, जिससे यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने जिस स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे, वह पूरे बहस का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई संप्रदाय यह कहता है कि वह अपनी परंपराओं के आधार पर दूसरों को बाहर रखेगा, तो यह न केवल उस संप्रदाय के लिए बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लिए हानिकारक होगा। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि अदालत अब धर्म के भीतर मौजूद विविधताओं और उनके प्रभावों को गहराई से समझने की कोशिश कर रही है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सहमति ने इस विचार को और मजबूती दी कि इस तरह के प्रतिबंध समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, जब अदालत ने मंदिरों के वित्तीय ढांचे और उनकी प्रकृति पर सवाल उठाए। बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि यदि कोई मंदिर किसी विशेष संप्रदाय का है, तो वह अपने नियम खुद तय कर सकता है। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई धार्मिक संस्था सार्वजनिक संसाधनों या सरकारी सहायता का लाभ लेती है, तो उसे संविधान और कानून के दायरे में रहना होगा। यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि अदालत धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

मामले का सबसे जटिल और संवेदनशील पहलू संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के बीच संतुलन का है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन और पूजा करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। अब प्रश्न यह है कि जब ये दोनों अधिकार आपस में टकराते हैं, तो प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए। अदालत ने इस दिशा में संकेत देते हुए कहा है कि किसी भी धर्म की रक्षा के नाम पर भेदभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

इस सुनवाई के दौरान जो माहौल बना है, वह केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर चल रही वैचारिक लड़ाई को भी उजागर करता है। एक ओर परंपराओं को संरक्षित रखने की चिंता है, तो दूसरी ओर समानता और आधुनिक मूल्यों को स्थापित करने की मांग है। यह टकराव नया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह सुनवाई इसे एक निर्णायक मोड़ पर ले आई है।

देशभर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। यह केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण है जो भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले की जिरह 22 अप्रैल तक पूरी हो सकती है, जिसके बाद निर्णय सुरक्षित रखा जा सकता है।

आखिरकार, यह मामला इस मूल प्रश्न पर आकर ठहरता है कि क्या परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं, और यदि हां, तो उनकी सीमाएं क्या होंगी। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय न केवल सबरीमाला मंदिर के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्म और संविधान के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यह फैसला आने वाले समय में कई अन्य धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के लिए एक मिसाल बन सकता है, और यही कारण है कि पूरे देश की निगाहें इस ऐतिहासिक सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

समुद्री सीमा पर फिर तनाव: श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई से भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी ने बढ़ाई चिंता

रामनाथपुरम। समुद्र की लहरों के बीच रोजी-रोटी की तलाश में निकले मछुआरों के लिए गुरुवार का दिन भारी पड़ गया, जब Sri Lanka Navy ने तमिलनाडु के दस भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर Palk Strait क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है, जहां वर्षों से मछुआरों और समुद्री सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, ये सभी मछुआरे तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पंबन मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से समुद्र में उतरे थे। उनके लिए यह एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था, जहां वे नियमित रूप से मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर बढ़े थे। लेकिन समुद्र के बीच में पहुंचने के बाद परिस्थितियां अचानक बदल गईं। बताया जा रहा है कि ये मछुआरे धनुष्कोडी और तलाईमन्नार के बीच के जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के बेहद करीब स्थित है और अक्सर विवादों का केंद्र बना रहता है।

गुरुवार को श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने इस क्षेत्र में निगरानी अभियान के दौरान एक मशीनीकृत नाव को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रोका। नौसेना के जवानों ने नाव को चारों ओर से घेर लिया और उस पर सवार मछुआरों

से पूछताछ की। इसके बाद उन पर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने और मछली पकड़ने का आरोप लगाते हुए सभी दस मछुआरों को हिरासत में ले लिया गया। नाव को भी जब्त कर लिया गया है, जो इन मछुआरों की आजीविका का मुख्य साधन थी।

यह घटना कोई पहली बार नहीं है। India और Sri Lanka के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है, खासकर पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में। यहां की समुद्री सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित होने के बावजूद, मछुआरे अक्सर अनजाने में या कभी-कभी बेहतर मछली पकड़ने की उम्मीद में सीमा पार कर जाते हैं। यह इलाका मछलियों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण मछुआरों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना रहता है।

रामनाथपुरम और आसपास के तटीय इलाकों के मछुआरे इस तरह की घटनाओं से लगातार प्रभावित होते रहे हैं। उनके लिए समुद्र केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। ऐसे में जब उनकी नावें जब्त हो जाती हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसका असर उनके परिवारों पर भी गहराई से पड़ता है। कई बार इन मछुआरों को महीनों तक हिरासत में रहना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है।

भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर श्रीलंका के साथ बातचीत करती रही हैं। दोनों देशों के बीच मछुआरों की रिहाई और समुद्री सीमा के पालन को लेकर कई समझौते और वार्ताएं भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल कड़े नियमों से नहीं, बल्कि दोनों देशों के मछुआरों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाने से ही संभव है।

इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और मछुआरा समुदाय में चिंता का माहौल है। परिवारजन अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, ताकि गिरफ्तार मछुआरों को जल्द से जल्द रिहा कराया जा सके।

समुद्र की यह कहानी केवल सीमा पार करने की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो हर दिन जोखिम उठाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए निकलते हैं। जब तक इस समस्या का स्थायी और मानवीय समाधान नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती रहेंगी और समुद्र की लहरों के साथ-साथ तनाव की लहरें भी उठती रहेंगी।

बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी राज्यों की सुस्ती पर उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली। देश में बढ़ते बाल तस्करी के मामलों को लेकर Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या भयावह रूप ले सकती है। अदालत ने सुनवाई के दौरान जिस तीखे अंदाज में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उसने प्रशासनिक तंत्र की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। न्यायमूर्ति JB Pardiwala और KV Viswanathan की पीठ ने साफ कहा कि अदालत केवल निगरानी कर सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों, पुलिस और संबंधित एजेंसियों की ही है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि देश में बाल तस्करी अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है, जिसमें कई गिरोह सक्रिय हैं और वे बच्चों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए निशाना बना रहे हैं। अदालत की टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट बनता जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में बच्चों की सफल बरामदगी यह साबित करती है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में वह इच्छाशक्ति कई राज्यों में दिखाई नहीं दे रही है।

कोर्ट ने अपने 15 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उस समय बाल तस्करी के संगठित नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई ठोस निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों में यह सुनिश्चित करना शामिल था कि तस्करी के मामलों में छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा हो, जिसके लिए दिन-प्रतिदिन सुनवाई की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने, जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी बात कही गई थी। लेकिन अदालत ने पाया कि इन निर्देशों का पालन अपेक्षित स्तर पर नहीं हुआ है।

राज्यों द्वारा दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्टों को लेकर भी अदालत ने नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि कई राज्यों की रिपोर्ट केवल औपचारिकता भर लगती हैं, जिनमें न तो ठोस आंकड़े हैं और न ही प्रभावी कार्रवाई का स्पष्ट विवरण। यह रवैया इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और पंजाब जैसे कई राज्य अभी तक तय प्रारूप में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए हैं, जो प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।

अदालत ने राज्यों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें संभावित तस्करी हॉटस्पॉट की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां बनानी थीं। इसके अलावा, लापता बच्चों के मामलों को स्वतः तस्करी के दृष्टिकोण से जांचने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस प्रमाण न मिले। इन निर्देशों का उद्देश्य यह था कि किसी भी मामले को हल्के में न लिया जाए और हर लापता बच्चे की खोज को प्राथमिकता दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब इस मुद्दे पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाल तस्करी जैसे संवेदनशील और अमानवीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अदालत ने जिस तरह से राज्यों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की है, वह यह दर्शाता है कि आने वाले समय में इस मामले पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत करता है कि देश में बाल सुरक्षा को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जब तक राज्य सरकारें, पुलिस तंत्र और सामाजिक संस्थाएं मिलकर समन्वित प्रयास नहीं करेंगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी—चेतावनी इसलिए कि यदि लापरवाही जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, और अवसर इसलिए कि अभी भी समय है जब ठोस कदम उठाकर हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।

'वीडियो बम' से गरमाई बंगाल की सियासत, चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक नया तूफान खड़ा हो गया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक कथित वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है और आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं Humayun Kabir, जिन पर एक कथित '1000 करोड़ रुपये की डील' और मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को सत्ता से हटाने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों को कबीर ने पूरी तरह खारिज करते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की सुनियोजित कोशिश बताया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress ने तीखा हमला बोला है। पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रही बातचीत कोई साधारण राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर की साजिश का हिस्सा है, जिसमें कथित तौर पर विपक्षी नेताओं की मिलीभगत से सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई जा रही है। टीएमसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कबीर विपक्ष के कुछ बड़े चेहरों के संपर्क में हैं, जिनमें Suvendu Adhikari और Himanta Biswa Sarma जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक संपर्क होने के संकेत भी दिए गए हैं, जिसने इस विवाद को और अधिक गंभीर बना दिया है।

वीडियो में कथित तौर पर यह दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए 1000 करोड़ रुपये की एक बड़ी डील तय की गई है, जिसमें से 200 करोड़

रुपये का अग्रिम भुगतान भी हो चुका है। इस दावे ने राजनीतिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। टीएमसी का कहना है कि इस साजिश का मुख्य उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा को लाभ पहुंचाना है। पार्टी ने इस मामले की गहन जांच के लिए Enforcement Directorate से जांच कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

दूसरी ओर, हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका यह भी कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो सामने आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उनकी साख को नुकसान पहुंचाना है।

इस विवाद में टीएमसी के वरिष्ठ नेता Firhad Hakim और मंत्री Aroop Biswas ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियां चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए की जा रही हैं और यह बेहद चिंताजनक है।

वहीं, विपक्षी दल Bharatiya Janata Party ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि टीएमसी अपनी संभावित हार को देखकर घबरा गई है और इसलिए इस तरह के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को भटकाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसे 'सस्ती राजनीति' करार देते हुए कहा कि जनता अब इस तरह के आरोपों से प्रभावित नहीं होने वाली।

पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का आगामी चुनाव केवल विकास और नीतियों का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह आरोपों, तकनीक और सियासी रणनीतियों का भी एक बड़ा मैदान बनने जा रहा है। एआई तकनीक के इस्तेमाल के आरोप ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि भविष्य में चुनावी राजनीति किस दिशा में जाएगी और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग किस हद तक संभव है।

फिलहाल इस 'वीडियो बम' ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल इसे एक गंभीर साजिश के रूप में पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्म और रोचक बना दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गहराएगा, और इसके असर से चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं।

संपादकीय

नाजुक युद्धविराम

तमाम किंतु-परंतुओं के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा से दुनिया को उस युद्ध से राहत मिली है, जिसने संघर्षरत पक्षों के अलावा पूरी दुनिया के लोगों के जीवन यापन को गहरे तक प्रभावित किया। निस्संदेह इस युद्ध ने पश्चिम एशिया के रणनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने के साथ ही वैश्विक कूटनीति पर असर डाला है। एक माह से अधिक समय तक चले इस युद्ध में विनाशकारी हवाई हमलों, होर्मुज जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकाबंदी और सभ्यता के विनाश के खतरों के बाद अब एक अस्थायी विराम ने पूरी दुनिया को राहत दी है। युद्ध भले ही अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच लड़ा जा रहा था, लेकिन इसने दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों, वैश्विक बाजारों और ऊर्जा पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को गहरे तक प्रभावित किया। उनके लिये अस्थायी युद्ध विराम होना निस्संदेह राहतकारी खबर है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि इस नाजुक शांति के पीछे कई चिंताजनक सच्चाइयां छिपी हैं। यह सर्वविदित है कि जिन उद्देश्यों को लेकर अमेरिका-इस्राइल ने यह युद्ध शुरू किया था, वे कहीं से पूरे होते नजर नहीं आते। वह बात अलग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार लक्ष्य पूरे होने की दलील देते रहते हैं। वहीं ईरान भी युद्ध विराम को अपनी सफलता के रूप में दर्शा रहा है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्धविराम को अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व के प्रमाण और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान इसे अपनी एक रणनीतिक जीत बताता है। उसकी दलील है कि उसने दुनिया की सुपरपॉवर अमेरिका व आक्रामक इस्राइल की सेनाओं के हमलों का अकेले ही मुकाबला किया और वैश्विक तेल आपूर्ति पर अपने प्रभाव को प्रदर्शित किया है। ऐसे में कूटनीति के जानकार आशंका जता रहे हैं कि ये परस्पर विरोधी बयानबाजी स्थायी शांति की दिशा में एक कारगर कदम नहीं, बल्कि महज रणनीति में बदलाव का संकेत है। मौजूदा परिदृश्य व लगातार संवेदनशील घटनाक्रमों के बीच कहना मुश्किल है कि यह युद्धविराम किसी तार्किक परिणति तक पहुंचेगा। कहा नहीं जा सकता कि युद्धविराम के बावजूद इस्राइल पड़ोसी देशों पर हमले रोकेगा। वह कह रहा है कि लेबनान पर उसके हमले जारी रहेंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि समझौते के प्रारूप में लेबनान पर इस्राइल के हमले रोकना भी शामिल है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की 'पल-पल, क्षण-क्षण' बदलती बयानबाजी और दूसरी ओर इस्राइल की आक्रामक रणनीति स्थायी शांति के मार्ग में संदेह के कांटे बोती नजर आती है। ईरान भी कह रहा है कि यदि उस पर इस्राइल के हमले जारी रहते हैं तो वह सीमाओं से परे संघर्ष का विस्तार करेगा, जो निश्चित ही चिंता की बात है। युद्ध विराम की खबरों के बीच इस्राइल का लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना और हमले में नागरिकों के घायल होने की खबरों ने दुनिया की चिंता को बढ़ाया है। इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान कि लेबनान में संघर्ष का मोर्चा सक्रिय रहेगा, युद्धविराम की सीमाओं को ही दर्शाता है। अमेरिका-ईरान युद्ध के समांतर संघर्षों को नजरअंदाज करने वाला यह युद्धविराम टिकाऊ होगा, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभरने के बीच युद्धविराम की शर्तों की परस्पर विरोधी व्याख्याएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के संबंध में, एक साझा ढांचे की कमी को ही उजागर करती है। आशंका जतायी जा रही है कि युद्ध विराम को लेकर स्पष्टता का अभाव, मामूली उल्लंघन भी समझौते को विफल कर सकते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो यह युद्धविराम संघर्षरत पक्षों के इरादे की परीक्षा भी है। निस्संदेह, मौजूदा स्थिति वार्ताओं के लिये एक सीमित अवसर प्रदान करती है। यह भी स्पष्ट करती है कि उपलब्धियां कितनी जल्दी खोई जा सकती हैं। आशंका जतायी जा रही है कि यदि इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ताएं दोनों के पक्षों के बीच जारी मतभेदों की खाई को पाटने में विफल रहती हैं तो जल्द ही क्षेत्र में युद्ध के बादल फिर से मंडरा सकते हैं।

कहां गए शांति के कपोत उड़ाने वाले?

"इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कई मंचों से उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नहीं किया।

आज की दुनिया बारूद से धधक रही है। रूस-यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक, हर तरफ मिसाइलों की गूँज है। शांति की बाते अब सुनाई नहीं देतीं। शांति के कपोत उड़ाने वाले दिखाई देने बंद हो गए। युद्ध की विभिषिका के विरोध में प्रदर्शन करने और मोमबत्ती जलाने वाले अब सड़कों से गायब है। युद्ध के विरोध के स्वर धीमे ही नही हुए, पूरी तरह खामोश हो गए। बुद्ध के संदेश अब किताबों में ही बंद होकर रह गए है। युद्धों के विरोध की कही से बात नही उठ रही। दुनिया में शांति स्थित करने के लिए बने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुंह पर टेप चिपक गया। वह देख सकता है। न कुछ बोल सकता है। न आदेश कर सकता है। विडंबना देखिए कि इक्कीसवीं सदी में हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन के चंद टुकड़ों और आपसी वर्चस्व के लिए हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे। युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, या इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव हो। जीत के झंडे चाहे जिस देश के हाथ आएं, हारती हमेशा मानवता है। इन युद्ध में विजयी कोई भी हो, सदा पराजित तो मानव होती है। मरती बस इंसानियत है।

इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कई मंचों से उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नहीं किया। सब देश गूंगे बन कर रह गए। आज भी ये ही हाल है। मरता ईरान खाड़ी के उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन दाग कर तबाही मचा रहा है, जिनमे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अपनी बरबादी होते देख ये देश ईरान पर अमेरिकी हमलों का उस तरह विरोध नही कर रहे, जिस तरह कि करना चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध के समय जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को जन्म दिया तो मध्य पूर्व (इज़राइल-हमास-ईरान) के संघर्ष ने दुनिया को धार्मिक और कूटनीतिक ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इन लड़ाइयों में टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच जो आवाज़ दब जाती है, वह है—एक मासूम बच्चे की चीख और एक बेबस माँ की कराह। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिनका राजनीति या सत्ता की लालसा से कोई लेना-देना नहीं होता। यूक्रेन के कीव से लेकर गाज़ा की गलियों और ईरान के गांव तक तक, हज़ारों औरतें और बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। जो उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उस उम्र में बच्चे बमों के धमाकों को पहचानना सीख रहे हैं। हज़ारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों का भविष्य मलबे के नीचे दब गया है। युद्ध के दौरान महिलाओं को न केवल विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक हिंसा का सबसे आसान लक्ष्य बनती हैं।

युद्ध केवल इंसान को नहीं मारता, वह सदियों से बनी-बनाई सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर गिरते बम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज कितना "असंवेदनशील" हो चुका है। जब एक अस्पताल पर मिसाइल गिरती है, तो वह केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं ढहती, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इन लड़ाइयों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया। इससे गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया। ईंधन की बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों की कमी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो खरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में खर्च होने चाहिए थे, वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलें बनाने में झोंके जा रहे हैं।

युद्ध का एक और खामोश शिकार हमारा पर्यावरण है। हज़ारों टन गोला-बारूद का इस्तेमाल वायुमंडल को ज़हरीला बना रहा है। जंगलों की आग, समुद्री प्रदूषण और ज़मीन में धंसे बारूदी सुरंग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। हम जिस धरती को बचाने की कसमें खाते हैं, उसी को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं। जब हम टीवी पर बमबारी के दृश्य देखते हैं और उन्हें केवल एक "न्यूज़ अपडेट" की तरह छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर की इंसानियत मर चुकी है। युद्ध हमें क्रूर बना देता है। हम मौतों को केवल 'आंकड़ों' में गिनने लगते हैं। घृणा का यह बीज जो आज बोया जा रहा है, वह भविष्य में और अधिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को जन्म देगा।

अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया है। उसने इराक पर यह कह कर हमला किया था कि उसके पास कैमिकल और अन्य घातक शस्त्र है। इराक हार गया। सद्दाम हुसैन पकड़े ही नही गए, उन्हें फांसी हो गई, किंतु अमेरिका इराक से कुछ भी बरामद नही कर पाया। उसका सब झूंठा प्रचार रहा। अब ईरान पर यह कह कर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया कि वह परमाणु बम बनाने के नजदीक है। उसकी इस शक्ति को खत्म करना है। हमले जारी है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए अपने मन की बात कह दी कि उसे ईरान के तेल पर कब्जा करना है। तीन जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वेनेजुयला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके देश (कराकस) से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद की गई। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। बहाना मादक पदार्थों की तस्करी रोकना था किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुयला का तेल वे बेचेंगे। उनकी मर्जी से बिकेगा। इस सब का मतलब साफ है कि दुनिया के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। वह किसी ने किसी बहाने उन पर कब्जा करना चाहता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है।

फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी देखी जा रहीयह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई खाड़ी देशें पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हाल के दिनों में हमलों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है।

ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इन्कार करने वाले ब्रिटेन जैसे वह देश होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की वजह से जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं। उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सुझाव हैः पहला- अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत है। दूसरा- हिम्मत जुटाओ, जलडमरूमध्य पर जाओ और उसे अपने कब्जे में ले लो।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के बाद खाड़ी देशों से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की है। पूर्व आईएईए प्रमुख ने विनाशकारी सैन्य टकराव की संभावना का जिक्र किया। बारदेई ने एक्स पर एक पोस्ट में पड़ोसी खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए कहा, "कृपया, एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि यह पागल शख्स इलाके को आग का गोला बना दे।" मोहम्मद अल बारदेई ने अपनी गुहार को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हुए युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस-चीन-फ्रांस को संबोधित एक अलग पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है?

प्रेरणा

शब्दों की क्रांति: जब एक कवि के लिए उठ खड़ी हुई पूरी जनता

मानव इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब तलवारें नहीं, बल्कि शब्दों ने सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। जब भावनाएँ कागज पर उतरती हैं और सच्चाई के साथ लोगों के दिलों में प्रवेश करती हैं, तब वे केवल साहित्य नहीं रहतीं, बल्कि एक ऐसी चेतना बन जाती हैं जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। Pablo Neruda ऐसे ही कवि थे, जिनकी कविताएँ केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे अन्याय, स्वतंत्रता और मानवीय अस्मिता की गहराइयों को भी छूती थीं। उनकी लेखनी में एक ऐसा जादू था, जो पढ़ने वाले को भीतर तक झकझोर देता था और उसे सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता था। इटली में उनका प्रवास किसी साधारण प्रवास की तरह नहीं था। वह एक ऐसे समय का प्रतीक बन गया था जब एक कवि केवल मंचों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी स्थायी जगह बना लेता है। हर दिन किसी न किसी संस्था, क्लब या साहित्यिक मंच से उन्हें आमंत्रण मिलता था। वे अपनी कविताएँ सुनाते और श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते। उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे हर शब्द सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुँच रहा हो। लोग उनकी कविताओं में अपने जीवन के अनुभव, अपने संघर्ष और अपने सपनों को देखने लगे थे। धीरे-धीरे यह लोकप्रियता एक नई दिशा लेने लगी। अब यह केवल साहित्यिक प्रशंसा नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक सामाजिक प्रभाव बन चुकी थी। छात्र उनके विचारों से प्रेरित होकर नए प्रश्न पूछने लगे थे, कलाकार उनकी संवेदनाओं को अपने कार्यों में उतारने लगे थे और आम लोग उनके शब्दों में अपनी पीड़ा और आशाओं को पहचानने लगे थे। यही वह क्षण था जब एक कवि की आवाज समाज की आवाज बनने लगी थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आवाज बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती है, तो सत्ता उसे लेकर असहज हो जाती है। इटली की सरकार के साथ भी यही हुआ। उन्हें यह महसूस होने लगा कि नेरूदा की बढ़ती लोकप्रियता कहीं उनके लिए चुनौती न बन जाए। एक ऐसा व्यक्ति, जो सीधे जनता के दिलों से जुड़ चुका है, वह किसी भी राजनीतिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। और यही डर धीरे-धीरे एक निर्णय में बदल गया। एक सुबह, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, नेरूदा के दरवाजे पर अचानक पुलिस आ पहुँची। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने औपचारिकता के साथ उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। कारण बताया गया कि उनके कुछ दस्तावेज संदिग्ध हैं और उनकी जांच आवश्यक है। यह एक ऐसा बहाना था, जो सतह पर तो वैध लगता था, लेकिन उसके पीछे की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। नेरूदा ने बिना किसी विरोध के पुलिस का साथ दिया। शायद उन्हें यह अहसास था कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और अन्याय को ज्यादा देर तक टिकाया नहीं जा सकता। लेकिन जब वे पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो उन्हें जो आदेश दिया गया, उसने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्हें तुरंत प्रभाव से इटली छोड़ने का आदेश दिया गया था। यह आदेश न केवल कठोर था, बल्कि यह पूरी तरह से एकतरफा और अन्यायपूर्ण भी था। यह एक ऐसा क्षण था, जहाँ एक कवि को उसकी लोकप्रियता की सजा दी जा रही थी। उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने लोगों के दिलों को छू लिया था और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन सत्ता को यही सबसे बड़ा खतरा लगता है—एक जागरूक समाज। जब नेरूदा पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, तो उन्होंने जो देखा, वह किसी भी कल्पना से परे था। बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। उनमें कलाकार थे, छात्र थे, लेखक थे, अभिनेता थे और सामान्य नागरिक भी थे। सभी के हाथों में फूलों की मालाएँ थीं और उनके चेहरे पर एक अटूट विश्वास था। जैसे ही नेरूदा बाहर आए, उन पर फूलों की वर्षा शुरू हो गई। यह दृश्य केवल स्वागत का नहीं था, यह एक मौन क्रांति का प्रतीक था। यह वह क्षण था जब जनता ने यह तय कर लिया था कि वे अपने प्रिय कवि को इस तरह अपमानित होकर जाने नहीं देंगे। लगभग एक घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। पूरा वातावरण नारों से गूंज रहा था—"पाब्लो हमारी जान हैं, उन्हें इटली से जाने नहीं देंगे।" यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि यह उस भावनात्मक जुड़ाव का प्रमाण था, जो नेरूदा और जनता के बीच स्थापित हो चुका था। यह घटना यह दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह एक प्रतीक बन जाता है। और जब उस प्रतीक को हटाने की कोशिश की जाती है, तो पूरी जनता उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है।

सरकार के लिए यह स्थिति अत्यंत जटिल हो गई थी। उन्होंने शायद यह नहीं सोचा था कि एक कवि के लिए इस तरह का जनसमर्थन देखने को मिलेगा। अब उनके सामने यह स्पष्ट था कि यदि वे अपने आदेश पर कायम रहते हैं, तो उन्हें जनता के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ेगा। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को अनदेखा करना आसान नहीं होता। अंततः वही हुआ, जो होना चाहिए था। सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नेरूदा को इटली में रहने की अनुमति दे दी गई। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी, जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और मानवता में विश्वास रखता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की शक्ति को कभी कम नहीं आँकना चाहिए। एक सच्चा कवि केवल कविताएँ नहीं लिखता, वह समाज को दिशा देता है, लोगों को जोड़ता है और जरूरत पड़ने पर अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देता है। नेरूदा की कविताएँ इसलिए प्रभावशाली थीं क्योंकि उनमें सच्चाई थी, संवेदनशीलता थी और एक गहरा मानवीय दृष्टिकोण था। आज के समय में, जब हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं, यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे और ईमानदार शब्द आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। अगर कोई लेखक या कवि अपने विचारों को ईमानदारी से प्रस्तुत करता है, तो वह लोगों के दिलों तक पहुँच सकता है और एक दिन समाज में परिवर्तन का कारण बन सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि जब शब्द सच्चाई के साथ बोले जाते हैं, तो वे केवल ध्वनि नहीं रहते, बल्कि एक शक्ति बन जाते हैं। और जब यह शक्ति जनता के साथ जुड़ जाती है, तो वह किसी भी सत्ता से बड़ी हो जाती है। यही इस कहानी का सार है—कि एक कवि की लेखनी भी इतिहास की दिशा बदल सकती है, अगर उसमें सच्चाई और साहस हो।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी छिपी भूख

आज का भारत एक विसंगति दौर से गुजर रहा है। एक ओर देश तेज़ी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, बाज़ारों में खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं भी विस्तारित हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर, एक गंभीर समस्या चुपचाप समाज में आकार ले रही है—पोषण की कमी, जिसे अक्सर छिपी हुई भूख कहा जाता है।

छिपी हुई भूख का अर्थ है शरीर में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसे आयरन, विटामिन बी12, विटामिन डी, जिंक, आयोडीन और फोलिक एसिड। यह कमी थकान, बार-बार संक्रमण, कमजोरी, ध्यान की कमी, हड्डियों की समस्या और रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसे लक्षणों के रूप में दिखाई देती है। भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आज भी महिलाओं और किशोरियों में आम है। शहरी आबादी में विटामिन बी12 की कमी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण बदलती भोजन शैली और पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना है। धूप की प्रचुरता के बावजूद विटामिन डी की कमी एक विडंबना बन चुकी है, जो हड्डियों, प्रतिरक्षा तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जिंक और आयोडीन की कमी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करती है।

पोषण को लेकर सबसे आम भ्रांति यह है कि भरपूर खाना खाने का मतलब अच्छा पोषण है। आज का आधुनिक भोजन—जो अधिकतर परिष्कृत अनाज, पैकेज्ड फूड और मीठे स्नैक्स पर आधारित है—कैलोरी तो देता है, लेकिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। हमारी पारंपरिक भोजन पद्धतियां, जिनमें मोटे अनाज, दालें, मौसमी सब्जियां और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल थे, धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही हैं। दरअसल, भोजन में गुणवत्ता के असंतुलन का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। पोषण की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे संक्रमण जल्दी होते हैं और ठीक होने में समय लगता है। मधुमेह और हृदय रोग जैसे जीवनशैली से जुड़े रोगों की गंभीरता भी बढ़ जाती है। बच्चों में यह शारीरिक वृद्धि और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि कामकाजी वर्ग में थकान और उत्पादकता में कमी लाती है। बुजुर्गों में यह कमजोरी और जटिलताओं को बढ़ावा देती है।

सरकार ने पोषण अभियान, मिड-डे मील, आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सराहनीय प्रयास किए हैं। लेकिन केवल दवाइयों और सप्लीमेंट्स के भरोसे इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। दीर्घकालिक समाधान के लिए ज़रूरी है कि पोषण भोजन के माध्यम से, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से मिले। यहां पर बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अक्सर बायोटेक्नोलॉजी को जटिल प्रयोगशालाओं तक सीमित विज्ञान माना जाता है, जबकि वास्तव में यह हमारे दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। बायोफोर्टिफाइड फसलें, जिनमें प्राकृतिक रूप से अधिक आयरन, जिंक या विटामिन मौजूद होते हैं, इसका एक उदाहरण हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ बिना खान-पान की आदत बदले बेहतर पोषण प्रदान कर सकते हैं।

इसके अलावा, किण्वन और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है—जो हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा और किण्वित पेय। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी इन परंपराओं को वैज्ञानिक आधार देकर पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण और आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्षेत्र भी संभावनाओं से भरा है, बशर्ते इन्हें जिम्मेदारी और किफायती तरीके से विकसित किया जाए। ये उत्पाद विलासिता नहीं, बल्कि विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन बन सकते हैं—खासकर कमजोर वर्गों के लिए।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता। कई बार पोषण की कमी का निदान नहीं हो पाता क्योंकि इसके लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझ लिया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संवाद में अब केवल वजन और कैलोरी नहीं, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों और संतुलित आहार पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए। किशोरों, गर्भवती महिलाओं और कामकाजी वर्ग के लिए पोषण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। नीति स्तर पर, यदि बायोटेक्नोलॉजी आधारित पोषण समाधानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए—जैसे बायोफोर्टिफाइड अनाज, स्कूल भोजन में पोषण संवर्धन—तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि बायोटेक्नोलॉजी नैतिकता, पारदर्शिता और सुलभता के साथ आगे बढ़े। छिपी हुई भूख केवल पोषण की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की चुनौती है।

आज आवश्यकता है कि पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी मानकर न देखा जाए, बल्कि इसे शिक्षा, कृषि, विज्ञान और सामाजिक चेतना से जोड़कर समझा जाए। जब तक परिवार स्तर पर यह समझ नहीं बनेगी कि संतुलित आहार क्या है और पोषक तत्व क्यों आवश्यक हैं, तब तक योजनाएं और तकनीकें भी सीमित प्रभाव ही डाल पाएंगी। पोषण साक्षरता को स्कूल पाठ्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रमों और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से फैलाना होगा। साथ ही, खाद्य उद्योग और वैज्ञानिक संस्थानों को मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने होंगे। बायोटेक्नोलॉजी आधारित नवाचार तभी सफल होंगे जब वे आम आदमी की थाली तक पहुंचें। इसके लिए नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और चिकित्सकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

अभियान

मां ब्रजेश्वरी की दिव्यता: कांगड़ा के उस चमत्कारी शक्तिपीठ की कथा जहां मक्खन बनता है आस्था का प्रसाद

हिमालय की गोद में बसे Kangra जिले का नाम आते ही एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहां की वादियां केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और चमत्कारिक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक है Brajeshwari Devi Temple, जिसे नगरकोट धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर न केवल हिमाचल बल्कि पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में अपना विशेष स्थान रखता है, और यहां की सबसे अनोखी परंपरा है मक्खन से जुड़ा वह दिव्य प्रसाद, जो आस्था और रहस्य का संगम है।

यह मंदिर मां दुर्गा के ब्रजेश्वरी रूप को समर्पित है, जहां देवी पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। मंदिर के इतिहास को जब हम गहराई से समझते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा का प्रतीक दिखाई देता है। मान्यता है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तब युद्ध के दौरान उन्हें कई चोटें आई थीं। उन घावों को शांत करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। उसी घटना की स्मृति में आज भी हर वर्ष Makar Sankranti के अवसर पर यहां एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसे "घृत मंडल" कहा जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान मंदिर में स्थित मां की पिंडी को पूरी तरह मक्खन से ढक दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और आध्यात्मिक होता है, मानो स्वयं देवी के घावों पर मरहम लगाया जा रहा हो। पूरे एक सप्ताह तक यह उत्सव चलता है, जिसमें भक्त दूर-दूर से आकर मां के इस विशेष रूप के दर्शन करते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का ऐसा संगम होता है, जो हर किसी को भीतर तक छू जाता है।

एक सप्ताह के बाद जब इस मक्खन को हटाया जाता है, तो उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। लेकिन यह प्रसाद सामान्य नहीं होता। इसे खाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर पर लगाने के लिए दिया जाता है। मान्यता है कि यह मक्खन चर्म रोगों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होता है। कई श्रद्धालु यह दावा करते हैं कि इस प्रसाद के प्रयोग से उन्हें त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिली है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक अनुभूति है, जिसने इस परंपरा को और भी मजबूत बना दिया है।

इस मंदिर की एक और विशेषता इसका ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध है। कहा जाता है कि Pandavas ने अपने वनवास काल में इस मंदिर का निर्माण कराया था। महाभारत काल से जुड़ी यह मान्यता इस स्थान को और भी रहस्यमयी और प्राचीन बना देती है। यह विश्वास किया जाता है कि पांडवों ने यहां मां की आराधना कर अपनी शक्ति और विजय की कामना की थी।

समय के साथ यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि एक आस्था केंद्र बन गया है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से Navratri के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में गूंजते भजन, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की आस्था मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है।

मंदिर की भौगोलिक स्थिति भी इसकी विशेषता को और बढ़ाती है। यह स्थान पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का वातावरण रहता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि एक मानसिक शांति और सुकून का अनुभव भी लेकर जाता है। यही कारण है कि Dharamshala घूमने आने वाले अधिकतर पर्यटक यहां माता के दर्शन करने अवश्य पहुंचते हैं। धर्मशाला से यह मंदिर लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे यहां पहुंचना काफी आसान हो जाता है।

अगर यहां आने के मार्ग की बात करें, तो यह स्थान तीनों प्रमुख माध्यमों से आसानी से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालु Gaggal Airport तक फ्लाइट ले सकते हैं। वहां से मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या अन्य साधनों से आसानी से तय किया जा सकता है। रेल मार्ग से आने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन Pathankot Railway Station है, जहां से कांगड़ा तक बस या टैक्सी उपलब्ध रहती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए भी यह स्थान बेहद सुविधाजनक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य प्रमुख शहरों से यहां के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, और सड़कें भी अच्छी स्थिति में हैं, जिससे निजी वाहन से यात्रा करना भी आसान और आनंददायक बन जाता है।

यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित परंपरा का केंद्र है, जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। यहां का मक्खन प्रसाद केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है—कि ईश्वर केवल पूजन का विषय नहीं, बल्कि जीवन के हर दर्द और हर घाव का उपचार भी हैं।

आज के आधुनिक युग में, जहां विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ता जा रहा है, वहां ऐसे स्थान हमें यह याद दिलाते हैं कि आस्था का भी अपना एक विज्ञान होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। मां ब्रजेश्वरी का यह मंदिर उसी अनुभव का केंद्र है, जहां हर भक्त अपने भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास लेकर लौटता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि कांगड़ा का यह शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो सदियों से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। यहां का हर पत्थर, हर परंपरा और हर कथा एक गहरी आस्था की कहानी कहती है। और जब कोई श्रद्धालु यहां आता है, तो वह केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि एक ऐसी अनुभूति से गुजरता है, जो उसके जीवन को नई दिशा दे सकती है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

“धुएं से जंग: सूरत के खजोद डंपिंग साइट पर ‘बायो-एंजाइम’ का प्रयोग, आग के बाद अब अंदर सुलगते खतरे से मुकाबला”

सूरत। शहर के खजोद डंपिंग साइट पर लगी आग ने भले ही कुछ दिनों पहले अपनी लपटों से आसमान को ढक दिया था, लेकिन अब असली चुनौती उस आग के बाद पैदा हुए धुएं और भीतर सुलगते खतरे से लड़ने की है। नगर निगम ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए आधुनिक और प्रयोगात्मक तकनीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ‘बायो-एंजाइम’ के इस्तेमाल का यह कदम न केवल तकनीकी नवाचार का संकेत है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

24 मार्च को खजोद क्षेत्र में RDF (रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल) में लगी भीषण आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप ले लिया था। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया और यह पास के सैनिटरी लैंडफिल तक फैल गई। उस समय स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। दमकल विभाग ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए 10 फायर टेंडरों और करीब 82 लाख लीटर पानी की मदद से 26 मार्च तक आग पर काबू पाया। यह अपने आप में एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण कार्रवाई थी, जिसमें लगातार कई घंटों तक अथक प्रयास किए गए।

लेकिन आग बुझने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। कचरे के विशाल ढेर के अंदरूनी हिस्सों में सुलगती आग लगातार धुआं पैदा करती रही। 8 अप्रैल तक यह स्थिति बनी रही, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस लगातार उठते धुएं के पीछे अधूरी जलन, मीथेन गैस का उत्सर्जन और तेज हवा का प्रभाव मुख्य कारण रहे।

इस जटिल समस्या का समाधान खोजने के लिए 8 अप्रैल को विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें यह सुझाव सामने आया कि ‘बायोकल्चर’ या बायो-एंजाइम का उपयोग किया जाए, जो कचरे के भीतर बनने वाली मीथेन गैस को तोड़ने में सक्षम होता है। इसी क्रम में अहमदाबाद के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार ‘रेनजाइम’ नामक बायो-एंजाइम का डेमो प्रस्तुत किया गया। यह एक ऐसा जैविक घोल है, जो गैसों के रासायनिक स्वरूप को बदलकर आग और धुएं की तीव्रता को कम कर सकता है।

नगर निगम अब इस तकनीक को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि बायो-एंजाइम के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। डंपिंग साइट के अंदरूनी हिस्सों तक सीधे पहुंच पाना बेहद कठिन होता है, लेकिन ड्रोन के जरिए यह काम अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो यह देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

सिर्फ तत्काल समाधान ही नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खजोद के पास स्थित ड्रीम सिटी से डंपिंग साइट तक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी से जुड़ा एक स्थायी पंपिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इससे अब फायर टेंडरों को दूर-दराज के इलाकों से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। इसके साथ ही, साइट पर 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह निगरानी केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मीथेन गैस के उत्सर्जन और संभावित आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भी की जा रही है। इस तरह, तकनीक और निगरानी का संयोजन एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है।

खजोद डंपिंग साइट की यह घटना एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी—चेतावनी इस बात की कि कचरा प्रबंधन में लापरवाही कितनी बड़ी आपदा को जन्म दे सकती है, और अवसर इस बात का कि आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा जा सकता है।

सूरत नगर निगम की यह पहल केवल एक संकट से निपटने की कोशिश नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करने का प्रयास है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बायो-एंजाइम का यह प्रयोग कितनी सफलता हासिल करता है और क्या यह शहर को धुएं और प्रदूषण से राहत दिला पाता है। फिलहाल, सूरत ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि वह समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें नए तरीकों से हल करने के लिए तैयार है।

“रेत पर उकेरी सफलता की लकीर: मयूरी गामित की छलांग ने गुजरात का नाम किया रोशन”

वडोदरा/जगदलपुर। सपनों को सच करने के लिए केवल हौसला ही नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प भी चाहिए—और इसी का जीवंत उदाहरण बनकर उभरी हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रतिभाशाली एथलीट Mayuri Gamit, जिन्होंने देश के पहले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे गुजरात को गर्व से भर दिया है।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में Sports Authority of India द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन लंबी कूद स्पर्धा में जब Mayuri Gamit ने 5.42 मीटर की शानदार छलांग लगाई, तो यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था—यह उनके वर्षों के संघर्ष, अभ्यास और आत्मविश्वास का परिणाम था। इस छलांग ने उन्हें पूरे देश में तीसरा स्थान दिलाया और कांस्य पदक उनके नाम कर दिया।

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ जैसे मंच पर आदिवासी प्रतिभाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलता है। ऐसे में मयूरी गामित की यह सफलता न केवल व्यक्तिगत जीत है, बल्कि यह उन अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं।

स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक Ranchhod Rathva ने इस उपलब्धि को गुजरात के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में पदक जीतना किसी भी राज्य के लिए गर्व का विषय होता है, और जब यह सफलता महिला वर्ग में आती है, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। उनके शब्दों में यह केवल एक मेडल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का दीप है।

विश्वविद्यालय के कुलपति Manish Rawal सहित पूरे संस्थान ने मयूरी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। इस सफलता के पीछे उनके कोच Pankil Ahir, सहायक प्रोफेसर Nisha Naikodi और Haresh Bhavani का मार्गदर्शन भी अहम रहा है, जिन्होंने लगातार उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

मयूरी की यह यात्रा आसान नहीं रही होगी। एक खिलाड़ी के रूप में रोजाना घंटों की कड़ी ट्रेनिंग, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना, और हर प्रतियोगिता में खुद को साबित करने का दबाव—इन सबके बीच यह उपलब्धि और भी बड़ी बन जाती है। लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो मंजिल दूर नहीं रहती।

आज उनकी यह छलांग केवल रेत पर नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुकी है। यह कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी संसाधन या सीमाओं की मोहताज नहीं होती—उसे केवल सही दिशा और अवसर की जरूरत होती है।

मयूरी गामित की यह सफलता न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह पूरे गुजरात के लिए गर्व का क्षण है और देश के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब सभी की नजरें उनके अगले कदम पर हैं, जहां वह और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं।

वडोदरा - मऊ स्पेशल ट्रेन के मार्ग और समय में संशोधन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वडोदरा मण्डल से वडोदरा - मऊ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में कानपुर सेंट्रल– कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक के बीच ‘मेगा ब्लॉक’ के कारण इस ट्रेन के मार्ग और समय में संशोधन किया गया है। यह ट्रेन 11 अप्रैल 2026 से वडोदरा जंक्शन के बजाय प्रतापनगर से शुरू और समाप्त होगी।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ट्रेन टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर के बजाय टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, औंरिहार के परिवर्तित मार्ग पर चलेगी। यह ट्रेन 11 अप्रैल, 2026 से वडोदरा-मऊ-वडोदरा के बजाय प्रतापनगर-मऊ - प्रतापनगर के बीच परिचालित होगी।

ट्रेन संख्या 09195/09196

प्रतापनगर – मऊ साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09195 प्रतापनगर-मऊ सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 16.00 बजे प्रतापनगर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 18:00 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 11 अप्रैल 2026 से 25 जुलाई, 2026 तक विस्तारित की गई है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09196 मऊ- प्रतापनगर सुपरफास्ट स्पेशल मऊ से प्रत्येक रविवार को 23.25 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 03.15 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 12 अप्रैल 2026 से 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित की गई है।

मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी, बयाना जंक्शन, रूपवास, आगरा कैंट, फतेहाबाद, भाभर, इटावा, गोविन्दपुरी, प्रयागराज जंक्शन,ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, और ऊनीहार स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन के ठहराव, समय और संरचना के समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ट्रैक नवीनीकरण कार्य हेतु लेवल क्रॉसिंग संख्या 109 (पीपली–वराही) पर सड़क यातायात 12 दिनों तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत रेल संरक्षा एवं अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के तहत पीपली–वराही खंड पर रेल किलोमीटर 127/1-2 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 109 पर ट्रैक नवीनीकरण कार्य किया जाएगा, जिसके कारण सड़क यातायात को दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को प्रातः 07:00 बजे से 22 अप्रैल, 2026 को रात्रि 22:00 बजे तक (कुल 12 दिन) अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।

यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अवधि के दौरान सड़क यातायात को रेल किलोमीटर 128/2-3 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 111 (पीपली–वराही) के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा।

ट्रैक नवीनीकरण कार्य के पूर्ण होने से रेल संरक्षा में वृद्धि होगी, दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी तथा ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु एवं समयबद्ध हो सकेगा, साथ ही ट्रैक की गुणवत्ता में सुधार से रखरखाव की आवश्यकता घटेगी और यात्रियों व सड़क उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित एवं बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

रेलवे प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि वे उक्त अवधि में निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा सहयोग प्रदान करें, जिससे कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

अजमेर मंडल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण ट्रेने प्रभावित

उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में रानी–खीमेल स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 641 पर प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग कार्य के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। यह कार्य संरक्षा एवं अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

निरस्त ट्रेने (Cancellation of Trains)

ट्रेन संख्या 14822 साबरमती – जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर – साबरमती एक्सप्रेस दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को निरस्त रहेगी।

डायवर्ट ट्रेने (Diversion of Trains)

ट्रेन संख्या 19223 साबरमती – जम्मू तवी एक्सप्रेस दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग वाया महेसाणा–मारवाड़ जंक्शन–लूणी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा–भीलड़ी–लूणी होकर चलेगी। यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर एवं समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन संख्या 19411 गांधीनगर कैपिटल – दौलतपुर चौक दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग वाया महेसाणा–पालनपुर–अजमेर–फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा–भीलड़ी–लूणी–जोधपुर–मेडता रोड–फुलेरा होकर चलेगी। यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी, जोधपुर, मेडता रोड एवं मकराना स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

गोरखपुर स्टेशन पर एफओबी निर्माण कार्य के कारण ट्रेनें प्रभावित

यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 5 एवं 6 पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण हेतु ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के चलते ट्रेन संख्या 19489/19490 अहमदाबाद–गोरखपुर–अहमदाबाद एक्सप्रेस के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

v ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद–गोरखपुर (सप्ताह में 6 दिन) दिनांक 30 अप्रैल, 01, 02, 03, 05, 06, 07 एवं 08 मई 2026 को गोरखपुर कैंट स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) होगी तथा गोरखपुर कैंट–गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

v ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर–अहमदाबाद (सप्ताह में 6 दिन) दिनांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 एवं 09 मई 2026 को गोरखपुर कैंट स्टेशन से प्रारंभ (शॉर्ट ओरिजिनेट) होगी तथा गोरखपुर–गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

अहमदाबाद मंडल में अपग्रेडेशन मामलों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, वर्षों से लंबित 10 मामलों का एक माह में समाधान, 321 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ

अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत कार्यरत कुछ रेल कर्मचारियों द्वारा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 से लेवल-8 में अपग्रेडेशन (उन्नयन) हेतु जारी पात्रता सूची को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT), अहमदाबाद के समक्ष कुल 10 मूल आवेदन (Original Applications) प्रस्तुत किए गए थे। ये सभी मामले लगभग तीन वर्षों से लंबित थे, जिससे संबंधित कर्मचारियों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ एवं विधि अधिकारी श्री मुकेश श्रीवास्तव एवं उनकी टीम के समन्वित प्रयासों से इन मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष पहल की गई। जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई के पश्चयात सभी 10 मामलों का निर्णय मात्र एक माह की अवधि में कर लिया गया।

रेलवे बोर्ड के पत्र के अंतर्गत कुछ श्रेणियों में 50% पदों को लेवल-7 से लेवल-8 में अपग्रेड किया गया था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के लिए एक चयन/पात्रता सूची जारी की गई थी। कुछ कर्मचारियों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह केवल वित्तीय लाभ (Financial Upgradation) का मामला है, अतः इसमें आरक्षण (Reservation) लागू नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर उक्त पात्रता सूची को CAT में चुनौती दी गई थी।

माननीय CAT, अहमदाबाद ने 06.04.2026 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह अपग्रेडेशन केवल वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि इसमें पदोन्नति की सभी आवश्यक विशेषताएँ शामिल हैं, इसलिए इसे पदोन्नति माना जाएगा।

लेवल-7 से लेवल-8 का यह अपग्रेडेशन “साधारण वित्तीय उन्नयन” नहीं है, बल्कि “कैडर पुनर्गठन के माध्यम से पदोन्नति (Promotion through Cadre Restructuring)” है। अतः इस प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण ‘लैंडमार्क जजमेंट’ के रूप में उभरा है, जिससे न केवल अहमदाबाद मंडल बल्कि पूरे पश्चिम रेलवे ज़ोन एवं भारतीय रेल के कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं लाभ प्राप्त होगा। यह फैसला भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करेगा। निर्णय प्राप्त होते ही अहमदाबाद मंडल के कार्मिक विभाग द्वारा अत्यंत तत्परता दिखाते हुए सभी 10 मामलों के आदेशों का एक ही दिन में पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप अहमदाबाद मंडल की 10 विभिन्न श्रेणियों में कुल 321 कर्मचारियों को लेवल-8 में पदोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ।

वर्ष 2025-26 में भावनगर मंडल की आय एवं लोडिंग प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आय एवं माल लोडिंग के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन दर्ज किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से कुल राजस्व में गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो मंडल की कुशल कार्यप्रणाली एवं बेहतर संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।

वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व 1345.63 करोड़ रहा, जो वर्ष 2024-25 के 1249.62 करोड़ की तुलना में लगभग 7.7% अधिक है। यात्री राजस्व में विशेष वृद्धि दर्ज करते हुए यह 313.39 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% अधिक है।

माल राजस्व भी 975.88 करोड़ रहा, जिसमें 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं अन्य कोचिंग राजस्व 26.23 करोड़ रहा। यात्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में कुल 24.57 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.7% अधिक है।

माल लोडिंग के क्षेत्र में भी मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 6.135 मिलियन टन लोडिंग हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% अधिक है।

विभिन्न वस्तुओं के लोडिंग में उर्वरक (Fertilizer) एवं सोडा ऐश (Soda Ash) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। गैर-भाड़ा राजस्व (NFR) के अंतर्गत विज्ञापन, पार्किंग एवं अन्य स्रोतों से भी आय में वृद्धि हुई है। टिकट जांच के मामलों एवं उससे प्राप्त राजस्व में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो राजस्व संरक्षण के प्रति सतर्कता को दर्शाता है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मंडल द्वारा यह उत्कृष्ट प्रदर्शन बेहतर योजना, समन्वय तथा ग्राहकों को दी जा रही सुविधाओं में निरंतर सुधार का परिणाम है। भविष्य में भी मंडल इसी प्रकार यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं माल ढुलाई सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

गर्मियों में त्वचा की देख भाल के लिए गुलाब जल ---शहनाज़ हुसैन

गुलाब जल का इस्तेमाल सुन्दरता निखारने में सदियों से किया जा रहा है / जब स्किन केयर की बात आती है तो सबसे पहले गुलाब का ही नाम आता है /

यह आपकी त्वचा और चेहरे को ठंडक प्रदान करता है जबकि इसकी खुश्बू आपको तरोताजा रखती है और मूड को बेहतर रखती है /

गर्मियों में गुलाब जल त्वचा के लिए एक प्राकृतिक टोनर, क्लींजर और हाइड्रेटर है और आप इसका इस्तेमाल मास्क या मेक अप रिमूवर के तौर पर भी कर सकते हैं /

यह त्वचा को ठंडक, नमी और निखार देता है, साथ ही पीएच स्तर को संतुलित रखता है। यह टैनिंग, सनबर्न, मुहांसों और अतिरिक्त तेल को कम करने में बेहद प्रभावी है। इसे स्प्रे, टोनर या फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों भरपूर गुलाब जल गर्मियों की तेज धूप से स्किन को सुरक्षित रखता है/

गर्मियों में रूखी ,बेजान चेहरे की त्वचा को तरोताजा रखने के लिए गुलाब जल को फेस मिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं / आप इसे एक बोतल में रख कर चेहरे पर स्प्रे कर सकते है और इसे त्वचा पर पूरी तरह सोखने दें /

अगर आप कील , मुहांसों और दाग धब्बों से परेशान हैं तो आप रात को सोने से पहले कॉटन बॉल की मदद से गुलाब जल लगाएं और इसे रात भर लगा रहने दें / आप इसे चेहरे पर सीधे भी स्प्रे कर सकते हैं या गुलाब जल को आइस ट्रे में जमा लें और इन आइस क्यूब की चेहरे पर हल्के हलके मसाज करें / इससे तपती धुप में ठंडक मिलेगी और चेहरे का ग्लो दिखेगा /

गर्मियों के दिनों में तैलीय त्वचा की बजह से पिंपल आम समस्या है / इससे निपटने के लिए एक चमच्च मुल्तानी मिट्टी में दो तीन चमच्च गुलाब जल को मिलाकर बने पेस्ट को चेहरे पर लगा लें और इसे प्रकृतिक तौर पर सूखने दें / पूरी तरह सुख जाने के बाद इसे ताजे ठन्डे पानी से धो डालें /

गुलाब जल के उपयोग से आँखों के गिर्द डार्क सर्कल को कम करने में मदद मिलती है / इसके लिए आप प्रभावित क्षेत्र में रुई की मदद से गुलाब जल लगाएं जिससे त्वचा में नमी बढ़ेगी और डार्क सर्कल धीरे धीरे कम होंगे / डार्क सर्कल के लिए गुलाब जल और ठंडे दूध को अच्छी तरह मिलाएं / इस मिश्रण को कॉटन बॉल की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आँखों को नीचे लगा कर आधा घंटा बाद ताजे पानी से धो डालें / आप इसे हफ्ते में तीन बार उपयोग में ला सकते हैं और कुछ ही दिनों में बेहतर परिणाम देखने में मिलेंगे /

पुदीने और गुलाब जल का पैक त्वचा को कोमल और मुलायम बनाने में काफी सहायक होता है / पुदीने के रस में एक चम्मच शहद और थोड़ा सा गुलाब जल मिलकर बने पैक को चेहरे पर कुछ देर तक लगाने के बाद ताजे पानी से धो डालें। गुलाब जल त्वचा के पी एच लेवल को संतुलित करता है

गुलाब की खुशबु का हेयर परफ्यूम बनाने के लिए 2 चम्मच गुलाब का तेल, 1 चम्मच जोजोबा ऑयल और 5 चम्मच गुलाब जल को एक स्प्रे बोतल में डाल कर मिक्स करें। आपका होममेड गुलाब की खुशबू वाला हेयर परफ्यूम तैयार है। सुबह घर से बाहर जाने से पहले इस हेयर परफ्यूम को बालों पर लगाएं। इससे न सिर्फ आपके बालों से अच्छी खुशबू आएगी बल्कि बालों को पोषण भी मिलेगा।

गर्मियों में अक्सर शुष्क त्वचा की समस्या से जूझना पड़ता है / इस समस्या के निदान के लिए एक चम्मच शुद्ध ग्लिसरीन को 100 मिलीलीटर गुलाबजल में मिलाकर बोतल को फ्रीज में रख दीजिए। इस लोशन को रोजाना त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए उपयोग कीजिए।

सभी प्रकार की त्वचा में नमी तथा मुलायम बनाने के लिए शहद तथा अलोवेरा जैल का प्रयोग किया जा सकता है। इसे चेहरे पर लगाने के 20 मिनट बाद चेहरे को स्वच्छ ताजे पानी से धो डालिए।

तैलीय तथा मिश्रित त्वचा के लिए तीन चम्मच जई में दही, शहद तथा गुलाब जल मिलाएं। इस सब का पेस्ट बना होठों तथा आँखों को छोड़कर बाकी चेहरे पर लगा ले तथा 20 मिनट बाद साफ पानी से धो डालिए।

“जेतपुर में गैस का ‘खतरनाक खेल’: टेक्सटाइल मिल पर SOG का बड़ा छापा, 93 सिलेंडर ज़ब्त, एजेंसी का गोदाम सील”

राजकोट। जेतपुर की तंग गलियों और रंग-बिरंगे साड़ियों के लिए मशहूर टेक्सटाइल बाजार में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक खतरनाक सच पल रहा था—ऐसा सच, जो किसी भी दिन बड़े हादसे में बदल सकता था। उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित खेतलिया टेक्सटाइल मिल में चल रहे इस ‘खामोश खतरे’ का पर्दाफाश तब हुआ, जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को एक गुप्त सूचना मिली। इसके बाद जो सामने आया, उसने न केवल प्रशासन को चौंकाया बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

PSI जी.जे. ज़ाला के नेतृत्व में SOG की टीम जब मिल परिसर में दाखिल हुई, तो शुरुआती तौर पर सब कुछ एक सामान्य फैक्ट्री जैसा ही लग रहा था—मशीनों की आवाज, रंगों की खुशबू और काम में जुटे कर्मचारी। लेकिन जैसे-जैसे टीम ने गहराई से तलाशी शुरू की, एक-एक कर ऐसे दृश्य सामने आने लगे, जो किसी भी सुरक्षा मानक की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक कोने में, फिर दूसरे कमरे में, और फिर गोदाम जैसे हिस्से में—एलपीजी सिलेंडरों के ढेर मिले। कुल 93 सिलेंडर, जिनमें 69 भरे हुए और 24 खाली थे, इस तरह रखे गए थे मानो यह कोई सामान्य स्टॉक हो।

यह केवल अवैध भंडारण नहीं था, बल्कि एक चलता-फिरता ‘बारूद का ढेर’ था, जो किसी भी चिंगारी से विस्फोटक हादसे में बदल सकता था। जांच में सामने आया कि इन सिलेंडरों का उपयोग साड़ी प्रिंटिंग के काम में किया जा रहा था। यह प्रक्रिया न केवल नियमों के खिलाफ थी, बल्कि अत्यधिक जोखिम भरी भी थी, क्योंकि टेक्सटाइल मिलों में पहले से ही केमिकल्स और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडरों का अनियंत्रित उपयोग आग और विस्फोट के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। पुलिस को पता चला कि ये सिलेंडर महादेव गैस एजेंसी से सप्लाई किए गए थे। यह जानकारी मिलते ही SOG ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया। यह कदम इस बात का संकेत था कि मामला केवल एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित आपूर्ति तंत्र भी सक्रिय था, जो नियमों को दरकिनार कर इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था।

पुलिस ने इस मामले में खेतलिया टेक्सटाइल के मालिक और गैस एजेंसी संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों के खिलाफ गैरकानूनी जमाखोरी, फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन, निर्धारित सीमा से अधिक स्टोरेज और गैस सिलेंडर नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ Essential Commodities Act, Explosives Act और Bharatiya Nyaya Sanhita की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने केवल सिलेंडर ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन समेत कुल 2.67 लाख रुपये का मुद्दामाल भी जब्त किया है। इन मोबाइल फोनों की जांच से उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस तरह का अवैध कारोबार केवल एक मिल तक सीमित नहीं है, बल्कि जेतपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी जड़ें फैली हो सकती हैं।

इस पूरे मामले ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है—क्या मुनाफे की दौड़ में उद्योगपति सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? जेतपुर जैसी जगह, जहां सैकड़ों टेक्सटाइल यूनिट्स दिन-रात काम करती हैं, वहां अगर इस तरह के खतरनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास इतना बड़ा खतरा मौजूद है। अगर यह छापा न पड़ता, तो शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही यह सच्चाई सामने आती। इस घटना ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है, और अब अन्य फैक्ट्रियों की भी जांच तेज किए जाने की संभावना है।

जेतपुर की यह कहानी सिर्फ एक छापेमारी की खबर नहीं है, बल्कि यह उस लापरवाही की चेतावनी है, जो किसी भी समय त्रासदी में बदल सकती है। यह याद दिलाती है कि उद्योग की प्रगति तभी सार्थक है, जब उसमें सुरक्षा और नियमों का पालन भी उतनी ही गंभीरता से किया जाए। फिलहाल, इस कार्रवाई ने एक बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि ऐसी अनदेखी अगर जारी रही, तो अगली बार नुकसान केवल कानून का नहीं, बल्कि जान-माल का भी हो सकता है।

“गांधीनगर से उठा एकजुटता का स्वर: ब्राह्मण एडवोकेट क्लब की स्थापना ने रचा नया अध्याय”

गांधीनगर। गुजरात की धरती पर एक ऐतिहासिक पहल ने कानूनी जगत और समाज के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है। पहली बार गांधीनगर में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब की स्थापना के साथ न केवल एक संगठन की नींव रखी गई, बल्कि एक ऐसे मंच का निर्माण हुआ है, जो आने वाले समय में सामाजिक एकता, पेशेवर सहयोग और कानूनी सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

यह पहल संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट B. R. Sharma के नेतृत्व और उनके दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जिन्होंने इस विचार को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सेक्टर-16 स्थित ब्रह्म समाज भवन में आयोजित यह भव्य उद्घाटन समारोह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उस सामूहिक भावना का उत्सव था, जिसमें ब्राह्मण अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर अपने पेशे और समाज के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला अधिवक्ताओं की उपस्थिति ने इस पहल के प्रति गहरे समर्थन और उत्साह को दर्शाया।

इस अवसर पर गुजरात बार काउंसिल के हाल ही में निर्वाचित सदस्यों का सम्मान किया गया, जिनमें Kishorbhai Trivedi, Dipenbhai Dave, Vandanaben Bhatt, Preeti Joshi और Amrita Bhardwaj शामिल रहे। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की सराहना था, बल्कि पूरे समुदाय के लिए गर्व का क्षण भी बना।

कार्यक्रम में हाल ही में न्यायाधीश के रूप में चयनित Pawan Vyas का भी विशेष सम्मान किया गया। साथ ही गांधीनगर से बार काउंसिल में निर्वाचित Shankarsinh Gohil और Karansingh Vaghela को भी सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई।

इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। Ashwin Trivedi, जो गुजरात ब्रह्म समाज के राज्य अध्यक्ष हैं, ने अपने विचारों में इस पहल को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनके साथ समस्त ब्रह्म समाज गुजरात के नेता Pinakin Rawal और मुख्य जिला सरकारी वकील Hiteshbhai Rawal भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मंच को समाज और न्याय व्यवस्था के बीच एक सेतु के रूप में देखा।

पूरे आयोजन को सफल बनाने में एडवोकेट B. R. Sharma की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Pritesh Vyas, Ketan Vyas, Krishna Rawal और Ravindra Vyas ने अतिथियों के स्वागत और कार्यक्रम के संचालन में विशेष योगदान दिया, जिससे यह आयोजन एक यादगार अनुभव बन सका।

ब्राह्मण एडवोकेट क्लब का उद्देश्य केवल एकता और नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने की दिशा में भी कार्य करेगा। यह मंच उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनेगा, जिन्हें कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन वे उचित संसाधनों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहली बार गुजरात बार काउंसिल में तीन ब्राह्मण महिला अधिवक्ताओं का चयन हुआ है, जिसने पूरे समुदाय को गर्व और प्रेरणा से भर दिया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व लगातार बढ़ रहा है।

कार्यक्रम के अंत में Nilesh Pandya ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह आयोजन केवल एक शुरुआत है, लेकिन इसकी गूंज दूर तक सुनाई देने की संभावना है। संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट B. R. Sharma के नेतृत्व में यह क्लब एक प्रेरणादायक मंच के रूप में उभर रहा है, जो न केवल ब्राह्मण अधिवक्ताओं को एकजुट करेगा, बल्कि समाज के भीतर कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण को भी नई दिशा देगा। आने वाले समय में इसका पूरे गुजरात में विस्तार करने की घोषणा इस बात का संकेत है कि यह पहल अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने की ओर अग्रसर है।

सूरत अशोक खरात मामले में एसआईटी के खुलासे महिलाओं का शोषण, 4650 वीडियो डिलीट, 451 खाते बंद

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

अशोक खरात मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख तेजस्वी सतपुते ने मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “पीड़ितों और उनके परिवारों से पूछताछ पर प्रतिबंध है। इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पीड़ितों की पहचान बताने वाले वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।”

इस मामले में 4650 वीडियो लिंक वायरल हुए थे, जिन्हें साइबर टीम ने हटा दिया है। साथ ही, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड करने वाले 451 अकाउंट भी स्थायी रूप से डिलीट कर दिए गए हैं। यह अध्याय बेहद संवेदनशील है, इसलिए चार्जशीट दाखिल होने तक कुछ जानकारियों को गुप्त रखना आवश्यक है। इस अध्याय में नाबालिग शामिल नहीं हैं।

अशोक खरात का कहना है: दुनिया घूम रही है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। अशोक खरात मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की पूछताछ के दौरान, सूत्रों ने बताया कि अशोक खरात ने अपने इकबालिया बयान में ऐसा विवादास्पद बयान दिया कि “मैंने कोई टोटका नहीं किया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैं हाथ की सफाई और चालों का इस्तेमाल करके महिलाओं को जाल में फंसाता था।

दुनिया घूम रही है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं।”

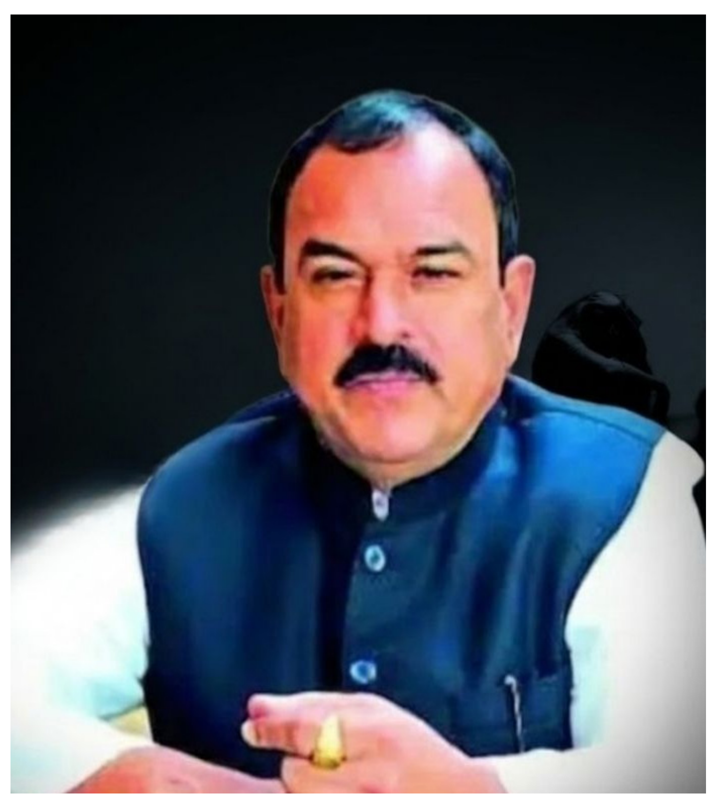

अशोक खरात महिलाओं की आस्था का फायदा उठाता था और उन्हें डराता था। तेजस्वी सतपुत ने आगे कहा, “अशोक खरात महिलाओं को बिना किसी पूजा-अर्चना के नग्नता, चिचुका, रुद्राक्ष देकर उनसे पैसे वसूलता था। इस तरह वह अंधविश्वास फैलाता था।”

अब तक पीड़ित महिलाएं लोगों की बातों के बारे में सोचकर अन्याय सहती रही थीं। लेकिन अब महिलाओं का साहस के साथ आगे आना एक बड़ी बात है।

“निमंत्रण पत्र से ही उम्र का सच: राजस्थान का सख्त कदम अब शादी के कार्ड पर छपेगी दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि”

जयपुर। परंपरा और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में राजस्थान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो सीधे तौर पर बाल विवाह जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या को चुनौती देता है। अब राज्य में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर होने वाली शादियों के निमंत्रण पत्रों में दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि छापने पर जोर दिया गया है, ताकि विवाह से पहले ही उनकी उम्र का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई नाबालिग तो शादी के बंधन में नहीं बंध रहा।

राजस्थान में Akshaya Tritiya और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों को शुभ मानते हुए बिना मुहूर्त के विवाह करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इन दिनों को “अबूझ साव” कहा जाता है, जब बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। लेकिन यही परंपरा कई बार बाल विवाह का रूप भी ले लेती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां आज भी सामाजिक दबाव, अशिक्षा और परंपरागत सोच के चलते कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं।

सरकार का यह नया कदम दरअसल एक रणनीतिक पहल है, जिसके जरिए विवाह के प्रारंभिक चरण—यानी निमंत्रण पत्र—को ही निगरानी का माध्यम बनाया गया है। जब कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अंकित होगी, तो स्थानीय प्रशासन, पंचायत स्तर के अधिकारी और समाज के लोग आसानी से यह जांच कर सकेंगे कि दोनों पक्ष बालिग हैं या नहीं। इससे बाल विवाह की संभावनाओं पर शुरुआती स्तर पर ही रोक लगाई जा सकेगी।

इस पहल के साथ ही प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध विवाह की सूचना देने के लिए 181 और 100 जैसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि आम नागरिक भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें।

राज्य में पहले से लागू Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस कानून के बावजूद, कई इलाकों में यह कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। यही वजह है कि सरकार को अब और सख्त तथा व्यावहारिक कदम उठाने पड़ रहे हैं, ताकि कानून केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी उसका प्रभाव दिखाई दे।

इस बार प्रशासन ने केवल परिवारों तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी है, बल्कि विवाह से जुड़े हर उस व्यक्ति को भी जवाबदेह बनाया है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। टेंट हाउस, हलवाई, पंडित, बैंड वाले और ट्रांसपोर्टर—सभी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे बाल विवाह में किसी भी तरह का सहयोग न करें। उनसे लिखित आश्वासन लिया जा रहा है और उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि वे किसी नाबालिग की शादी में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम अपने आप में एक सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा संकेत है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। जब एक विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे समाज की भागीदारी से होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए—इसी सोच को यह पहल आगे बढ़ाती है।

हालांकि, इस फैसले की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है। जागरूकता, निगरानी और सख्ती—इन तीनों का संतुलन ही इस मुहिम को प्रभावी बना सकता है। अगर यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है। आखिरकार, यह लड़ाई केवल कानून की नहीं, बल्कि सोच की भी है। जब तक समाज खुद यह नहीं समझेगा कि बचपन का अधिकार किसी भी परंपरा से बड़ा है, तब तक बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल रहेगा। लेकिन राजस्थान का यह कदम एक उम्मीद जरूर जगाता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है—और इस बार शायद वह निमंत्रण पत्र से ही दिखाई देने लगेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सवाल: क्या घायल कैडेटों को पूर्व सैनिक का दर्जा और आरक्षण मिलेगा?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सेना में चयनित होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान घायल या विकलांग हो जाने वाले सैन्य कैडेटों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है और क्या उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन युवा कैडेटों की रोजगार संबंधी जरूरतों और चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण के दौरान चोट या विकलांगता के कारण कैडेटों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित मामले की सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने गौर किया कि अधिकांश सैन्य कैडेट 30 वर्ष से कम आयु के हैं और उन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। क्या चिकित्सा कारणों से बाहर किए गए कैडेट सरकारी और अर्ध-प्रतिष्ठित पदों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा।

500 कैडेटों की समस्या: 1985 से अब तक, लगभग 500 कैडेटों को विभिन्न प्रकार की विकलांगता के कारण प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने इन कैडेटों की समस्याओं को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है। इससे उनके अधिकारों और अवसरों की रक्षा हुई है।

सोना वायदा में 712 रुपये की वृद्धि, चांदी वायदा में 1435 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा में 339 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 133282.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 21286.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 111995.43 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36166 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2975.97 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14087.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 150647 रुपये के भाव पर खूलकर, 152578 रुपये के दिन के उच्च और 150647 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151776 रुपये के पिछले बंद के सामने 712 रुपये या 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ 152488 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 368 रुपये या 0.3 फीसदी की तेजी के संग 121874 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 44 रुपये या 0.29 फीसदी की तेजी के संग 15268 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 149987 रुपये के भाव पर खूलकर, 151199 रुपये के दिन के उच्च और 149301 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 691 रुपये या 0.46 फीसदी की तेजी के संग 151100 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 149285 रुपये के भाव पर खूलकर, 152758 रुपये के दिन के उच्च और 149285 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150758 रुपये के पिछले बंद के सामने 738 रुपये या 0.49 फीसदी की तेजी के संग 151496 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 235850 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 238490 रुपये और नीचे में 235133 रुपये पर पहुंचकर, 239918 रुपये के पिछले बंद के सामने 1435 रुपये या 0.6 फीसदी घटकर 238483 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1606 रुपये या 0.66 फीसदी लुढ़ककर 240898 रुपये प्रति किलो बोला गया।

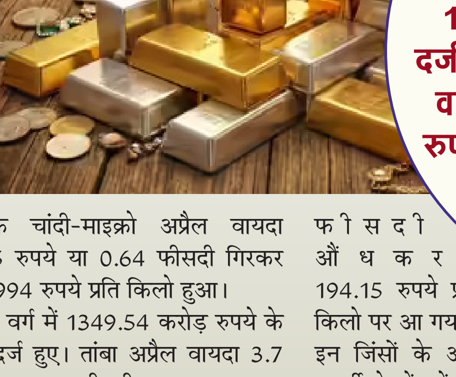

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 21286.64 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 111995.43 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 14087.81 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36166 पॉइंट के स्तर पर

जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1555 रुपये या 0.64 फीसदी गिरकर 240994 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 1349.54 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 3.7 रुपये या 0.31 फीसदी घटकर 1184.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 40 पैसे या 0.12 फीसदी की नरमी के साथ 328.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 25 पैसे या 0.07 फीसदी की नरमी के साथ 354.6 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 1.6 रुपये या 0.82 फीसदी औंधकर 194.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5595.67 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 9030 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 9292 रुपये और नीचे में 9021 रुपये पर पहुंचकर, 339 रुपये या 3.83 फीसदी बढ़कर 9200 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 339 रुपये या 3.83 फीसदी की तेजी के संग 9199 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 256.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 257.6 रुपये के दिन के उच्च और 254.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 254.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.7 रुपये या 0.67 फीसदी की तेजी के संग 256 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 1.4 रुपये या 0.55 फीसदी की मजबूती के साथ 256 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1020 रुपये पर खूलकर, 2.4 रुपये या 0.24 फीसदी बढ़कर 1001 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9367.64 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4720.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 891.24 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 209.01 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 24.37 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 220.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4404.47 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1153.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.71 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8548 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 50610 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 25398 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 376894 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 55440 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7059 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20446 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 80399 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16069 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 45645 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 36199 पॉइंट पर खूलकर, 36199 के उच्च और 36166 के नीचले स्तर को छूकर, 398 पॉइंट घटकर 36166 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 80.5 रुपये की बढ़त के साथ 302.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 15 पैसे के सुधार के साथ 9.4 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 46.5 रुपये की गिरावट के साथ 394 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 49 रुपये की गिरावट के साथ 563 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.51 रुपये की गिरावट के साथ 17.11 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.32 रुपये की गिरावट के साथ 4.01 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 69.4 रुपये की गिरावट के साथ 99.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.7 रुपये की गिरावट के साथ 10.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 124 रुपये की गिरावट के साथ 1070 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 26 रुपये की गिरावट के साथ 528.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4 पैसे के सुधार के साथ 4.71 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.01 रुपये की बढ़त के साथ 2.8 रुपये हुआ।